रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267970
CG-DL-E-26112025-267970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5225] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947
No. 5225] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

का.आ. 5401(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए हल्दिया पोर्ट से हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक एक ऑक्सीडाइज़र फीड ड्रम को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स जेएम बक्सी, उपरोक्त परिवहन के लिए एक ऑक्सीडाइज़र फीड ड्रम के परिवहन हेतु फिल्स हेवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
01.	एमएच04एफडी1292	वोल्वो
02.	एमएच04एफडी1293	वोल्वो

03.	जीजे12बीजेड3871	वोल्वो
04.	जीजे12बीजेड3739	वोल्वो
05.	जीजे12एजेड3302	वोल्वो
06.	जीजे12एजेड3332	वोल्वो
07.	जीजे12बीवी0015	वोल्वो
08.	जीजे12बीवी0415	वोल्वो
09.	एमएच46एच1063	वोल्वो
10.	एमएच46एच1064	वोल्वो
11.	एमएच46एच0446	वोल्वो
12.	एमएच46एच2320	वोल्वो
13.	एमएच46एच2720	वोल्वो
14.	एमएच06एक्यू1289	वोल्वो
15.	एमएच06एक्यू1290	वोल्वो
16.	जीजे12बीजेड3931	वोल्वो
17.	जीजे05सीयू4519	वोल्वो
18.	जीजे05सीयू4539	वोल्वो
19.	जीजे05सीयू4999	वोल्वो
20.	जीजे05सीयू4594	वोल्वो

3. उपरोक्त गतिविधियों में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	**ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या**	**मेक**	**ट्रेलरों में धुरियों की संख्या**	**अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)**
01.	एमएच 06 एक्यू 1256	गोल्डहोफर	4	104
02.	एमएच 06 एक्यू 1257	गोल्डहोफर	6	156
03.	एमएच 06 एक्यू 1258	गोल्डहोफर	6	156
04.	एमएच 06 एक्यू 1259	गोल्डहोफर	4	104
05.	एमएच 06 एक्यू 1260	गोल्डहोफर	4	104
06.	एमएच 06 एक्यू 7349	गोल्डहोफर	4	104
07.	एमएच 06 एक्यू 7350	गोल्डहोफर	4	104
08.	एमएच 06 एक्यू 7351	गोल्डहोफर	4	104
09.	एमएच 06 एक्यू 7352	गोल्डहोफर	4	104
10.	एमएच 46 एच 3102	गोल्डहोफर	8	208
11।	एमएच 46 एच 3103	गोल्डहोफर	8	208
12.	एमएच 46 एच 3104	गोल्डहोफर	3	78
13.	एमएच 46 एच 3105	गोल्डहोफर	3	78
14.	एमएच 46 एच 3106	गोल्डहोफर	4	104
15.	एमएच 46 एच 3107	गोल्डहोफर	4	104
16.	एमएच 46 एच 3108	गोल्डहोफर	4	104
17.	एमएच 46 एच 3110	गोल्डहोफर	6	156

18.	जीजे 12 जेड 0136	गोल्डहोफर	6	156
19.	जीजे 12 जेड 0137	गोल्डहोफर	4	104
20.	जीजे 12 जेड 0138	गोल्डहोफर	6	156
21.	जीजे 12 जेड 0139	गोल्डहोफर	4	104
22.	जीजे 12 जेड 0140	गोल्डहोफर	4	104
23.	जीजे 12 जेड 3449	गोल्डहोफर	4	104
24.	जीजे 12 जेड 3450	गोल्डहोफर	4	104
25.	जीजे 12 जेड 3451	गोल्डहोफर	4	104
26.	जीजे 12 जेड जे452	गोल्डहोफर	6	156
27.	जीजे 12 जेड 3453	गोल्डहोफर	6	156
28.	जीजे 12 जेड 4075	गोल्डहोफर	6	156
29.	जीजे 12 जेड 4076	गोल्डहोफर	4	104
30.	जीजे 12 जेड 4079	गोल्डहोफर	4	104
31.	जीजे 12 एटी 7526	गोल्डहोफर	4	104
32.	जीजे 12 एटी 7528	गोल्डहोफर	4	104
33.	जीजे 12 एटी 7529	गोल्डहोफर	8	208
34.	जीजे 12 एटी 7530	गोल्डहोफर	8	208
35.	जीजे 12 एटी 9596	गोल्डहोफर	8	208
36.	जीजे 12 एटी 9598	गोल्डहोफर	6	156
37.	जीजे 12 एटी 9562	श्यूएर्ले	8	208
38.	जीजे 12 एटी 9564	श्यूएर्ले	8	208
39.	जीजे 12 एटी 9566	श्यूएर्ले	6	156
40.	जीजे 12 एटी 9567	श्यूएर्ले	6	156
41.	जीजे 12 एटी 9568	श्यूएर्ले	4	104
42.	जीजे 12 एटी 9569	श्यूएर्ले	4	104
43.	जीजे 12 एयू 6713	श्यूएर्ले	4	104
44.	जीजे 12 एयू 6715	श्यूएर्ले	4	104
45.	जीजे 12 एयू 6189	श्यूएर्ले	6	156
46.	जीजे 12 एयू 6190	श्यूएर्ले	6	156

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	**मात्रा**	**प्रेषित माल का नाम**	**बिना भार वाली धुरियों का भार**	**माल का भार (एमटी)**	**वाहन का लदान भार (एमटी)**	**प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)**	**वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)**	**माल का समग्र आयाम (मीटर में)**			**लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण**
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	

i.	1	ऑक्सीडाइज़र फ़ीड ड्रम	99	175	276	13.80	8.38	30.793	7.386	7.894	प्रति पंक्ति में 20 (1+1/2) धुरी (3 फ्लाई), 30 धुरी (प्रति धुरी पंक्ति में 12 टायर)

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है कि:-

i. एक ऑक्सीडाइज़र फ़ीड ड्रम के परिवहन का विशिष्ट मार्ग गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, हल्दिया पोर्ट से हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक सड़क मार्ग से इस प्रकार होगा-

हल्दिया पोर्ट- सिटी सेंटर, हल्दिया- हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हल्दिया, पश्चिम बंगाल

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स जेएम बक्सी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां ट्रेलरों की आवाजाही के कारण सड़कों या सड़क संरचनाओं/पुलों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

(xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

(xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ऊपरि संरचना (ओवरहेड स्ट्रक्चर) आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों, ताकि वस्तु के आवागमन में लंबवत अवरोध उत्पन्न न हो।

(xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/10/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद,अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2025

S.O. 5401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Oxidizer feed drum from Haldia Port to Haldia Petrochemical Ltd., Haldia, West Bengal by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s JM Baxi is the transporter of Phils Heavy Engineering Pvt. Ltd. for transportation of one Oxidizer Feed Drum for the aforesaid movements.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
01.	MH04FD1292	VOLVO
02.	MH04FD1293	VOLVO
03.	GJ12BZ3871	VOLVO
04.	GJ12BZ3739	VOLVO
05.	GJ12AZ3302	VOLVO
06.	GJ12AZ3332	VOLVO
07.	GJ12BV0015	VOLVO

08.	GJ12BV0415	VOLVO
09.	MH46H1063	VOLVO
10.	MH46H1064	VOLVO
11.	MH46H0446	VOLVO
12.	MH46H2320	VOLVO
13.	MH46H2720	VOLVO
14.	MH06AQ1289	VOLVO
15.	MH06AQ1290	VOLVO
16.	GJ12BZ3931	VOLVO
17.	GJ05CU4519	VOLVO
18.	GJ05CU4539	VOLVO
19.	GJ05CU4999	VOLVO
20.	GJ05CU4594	VOLVO

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
01.	MH 06 AQ 1256	Goldhofer	4	104
02.	MH 06 AQ 1257	Goldhofer	6	156
03.	MH 06 AQ 1258	Goldhofer	6	156
04.	MH 06 AQ 1259	Goldhofer	4	104
05.	MH 06 AQ 1260	Goldhofer	4	104
06.	MH 06 AQ 7349	Goldhofer	4	104
07.	MH 06 AQ 7350	Goldhofer	4	104
08.	MH 06 AQ 7351	Goldhofer	4	104
09.	MH 06 AQ 7352	Goldhofer	4	104
10.	MH 46 H 3102	Goldhofer	8	208
11.	MH 46 H 3103	Goldhofer	8	208
12.	MH 46 H 3104	Goldhofer	3	78
13.	MH 46 H 3105	Goldhofer	3	78
14.	MH 46 H 3106	Goldhofer	4	104
15.	MH 46 H 3107	Goldhofer	4	104
16.	MH 46 H 3108	Goldhofer	4	104
17.	MH 46 H 3110	Goldhofer	6	156
18.	GJ 12 Z 0136	Goldhofer	6	156
19.	GJ 12 Z 0137	Goldhofer	4	104
20.	GJ 12 Z 0138	Goldhofer	6	156
21.	GJ 12 Z 0139	Goldhofer	4	104
22.	GJ 12 Z 0140	Goldhofer	4	104
23.	GJ 12 Z 3449	Goldhofer	4	104
24.	GJ 12 Z 3450	Goldhofer	4	104
25.	GJ 12 Z 3451	Goldhofer	4	104
26.	GJ 12 Z J452	Goldhofer	6	156
27.	GJ 12 Z 3453	Goldhofer	6	156

28.	GJ 12 Z 4075	Goldhofer	6	156
29.	GJ 12 Z 4076	Goldhofer	4	104
30.	GJ 12 Z 4079	Goldhofer	4	104
31.	GJ 12 AT 7526	Goldhofer	4	104
32.	GJ 12 AT 7528	Goldhofer	4	104
33.	GJ 12 AT 7529	Goldhofer	8	208
34.	GJ 12 AT 7530	Goldhofer	8	208
35.	GJ 12 AT 9596	Goldhofer	8	208
36.	GJ 12 AT 9598	Goldhofer	6	156
37.	GJ 12 AT 9562	SCHEUERLE	8	208
38.	GJ 12 AT 9564	SCHEUERLE	8	208
39.	GJ 12 AT 9566	SCHEUERLE	6	156
40.	GJ 12 AT 9567	SCHEUERLE	6	156
41.	GJ 12 AT 9568	SCHEUERLE	4	104
42.	GJ 12 AT 9569	SCHEUERLE	4	104
43.	GJ 12 AU 6713	SCHEUERLE	4	104
44.	GJ 12 AU 6715	SCHEUERLE	4	104
45.	GJ 12 AU 6189	SCHEUERLE	6	156
46.	GJ 12 AU 6190	SCHEUERLE	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i.	1	Oxidizer Feed Drum	99	175	276	13.80	8.38	30.793	7.386	7.894	20 (1+1/2) axles (3 flies) in each row, 30 axles (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific route for transportation of one Oxidizer feed drum will be from Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited, Haldia Port to Haldia Petrochemical Ltd., Haldia, West Bengal by road through-

Haldia Port- City Center, Haldia- Haldia Petrochemical Ltd., Haldia, West Bengal

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order

specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s JM Baxi (P) Ltd.

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover (including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra and Gujarat.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.

xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs,RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement.

xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. . RT-11042/10/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.24 21:19:47 +05'30'